

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Arms Appeal No.- 268/2022

*Rinku Devi.....Appellant**Versus**The State of Bihar & Anr .....Respondents.*

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	13-06-2023	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>प्रस्तुत शस्त्र अपील वाद जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०-०८/२०२० में दिनांक-१७.०८.२०२१ को पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी०डब्लू०जे०सी० सं०-१३७३९/२०२१ में दिनांक-१७.११.२०२२ को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है।</p> <p>उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ग्राम-नारायणपुर, थाना-जानकीनगर, जिला-पूर्णिया के स्थायी निवासी है। यह एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं सक निर्वाचित जन प्रतिनिधि है। उन्होंने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एवं विरोध के कारण स्वयं एवं अपने परिवार तथा जान माल की हिफाजत के लिए एक एन०पी० बोर राईफल शस्त्र धारित करने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए दिनांक-२७.१२.२०१९ को जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष विहित प्रपत्र में आवेदन किया गया। उक्त आवेदन पर जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा ज्ञापांक-५११/सा०, दिनांक-२८.१२.२०२० के माध्यम से थानाध्यक्ष जानकीनगर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। थानाध्यक्ष जानकीनगर द्वारा पत्रांक-०९६५/२०२०, दिनांक-२७.०६.२०२० द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करते हुए अनुशंसा की गई। अपीलार्थी द्वारा नई दिल्ली स्थित TOPGUN SHOOTING ACADEMY में दिनांक-१७.१०.२०२१ से १९.१०.२०२१ प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए प्रमाण पत्र प्राप्त किये। जिला</p>	

लगातार

13-06-2023

पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद भी जब इनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया तो ये माननीय उच्च

क्रमशः

न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-13739/2021 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को शस्त्र अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा उक्त सूचना के आलोक में जल्दबाजी करते हुए बीच में ही दिनांक-17.08.2021 को इनके आवेदन को यह कारण बताकर अस्वीकृत कर दिया कि इनके द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील आवेदन समर्पित किया गया है।

इनका आगे कथन है कि जिला पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश तथ्यों एवं विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। शस्त्र अधिनियम की धारा-14 के अनुसार जिला पदाधिकारी को आवेदन अस्वीकृत करने से पहले अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए था जो नहीं दिया गया। साथ ही अस्वीकृत करने का ठोस आधार बताना चाहिए जो नहीं किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु दिनांक-27.12.2019 को आवेदन समर्पित किया गया, जिसपर दिनांक-17.08.2021 को आदेश पारित कर रद्द किया गया, परन्तु इस बीच उनके द्वारा एक बार भी सूचना निर्गत कर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र समर्पित करने का निदेश नहीं दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में इनके द्वारा अपील वाद को स्वीकृत करते हुए शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की प्रार्थना की गई है।

उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु आयुद्ध अधिनियम, 2016 के नियम 10 के उपनियम (1)(2) के प्रावधान के तहत मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक के द्वारा फॉर्म S-1 में प्रदत्त प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न किये जाने का

13-06-2023

प्रावधान है। परन्तु आवेदिका द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया गया है। साथ ही आवेदिका द्वारा अपने आवेदन में आवेदन की तिथि से बाद प्रशिक्षण प्राप्त करने का जिक्र किया क्रमशः

है। जो नियम संगत नहीं है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। आवेदिका के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख संबंधित पदाधिकारी को वापस भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित

आयुक्त,  
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त,  
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

--	--	--	--

*Web Copy. Not Official.*